न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – राम निवास मेहता

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
11/2023	30.06.2023	10.01.2025

रामपाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी कैथुदा तह. पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान ।

अप्रार्थी

निणर्य

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 आर. एल. आर. एक्ट 1956

संक्षेप में प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी रामपाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी कैथुदा तह. पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान के कब्जे काश्त कि वर्तमान आराजी के जमाबन्दी रेवेन्यु रेकार्ड वाके माल बगावदा पटवार क्षेत्र केथुदा में खेवट खतौनी 134 नई व पुरानी 126 में ख.नं. 418/351 रकबा 1.00 हैक्टर कुल 1 किता का कुल रकबा 1.00 हैक्टर जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में रेवेन्यु रेकार्ड दर्ज है।

यह की उपरोक्त आराजी में राज्य सरकार के आदेशानुसार कम्प्यूटर जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का नाम रामपाल से रामदयाल कर दिया है जबकी प्रार्थी का नाम रामपाल हि है और रामपाल के नाम से हि प्रार्थी को गाँव समाज में जानते है और राम पाल नाम से हि आज भी आम लोग पुकारते है और प्रार्थी के राजकिय दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामपाल हि है प्रार्थी के पास आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनाधार कार्ड रामपाल के नाम से बने हुऐ है।

यह कि प्रतिवादी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकी रेवेन्यु विभाग कों एक्जेस्टिंग रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है और ऐसा कृत्य प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य माना गया है, इसीलिए प्रार्थी के रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी 134 नई व पुरानी 126 में ख.नं. 418/351 रकबा 1.00 हैक्टर कुल 1 किता का कुल रकबा 1.00 हैक्टर जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में रेवेन्यु रेकार्ड दर्ज है जिसको अपने खाते में अपना नाम दुरस्ती करवा कर दर्ज करवानें का अधिकार है।

यह कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खातें एवं रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में अनावश्यक रूप से गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी से पुछे बिना रामपाल के स्थान पर रामदयाल दर्ज कर दिया है. उक्त कृत्य को करने का उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी के उक्त अवैधानिक कृत्य से गलत नाम दर्ज

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

हुआ उसको वापस दुरस्त करवाकर अपनें वास्तविक नाम खातें दर्ज करवानें का अधिकार है।

यह कि रेवेन्यु विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से प्रार्थी का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है जिससे प्रार्थी को राजकीय योजनाओ मे लाभ लेने अपने बच्चो के जाति मूल निवासी बनाने आदी कई प्रकार कि समस्याओ में सामना करना पडता है।

यह कि वाद कारण जब उत्पन्न हुआ की उक्त रकबें के रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी बैंक में अपना के.सी.सी. लीमिट बनवाने के लिये गया गलत नाम दर्ज होनें कि शिकायत रेवेन्यु अधिकारीयों से कई मर्तबा की लेकिन आखरी बार फरवरी मई माह 2023 में मंहगाई राहत कैम्प प्रार्थी के पंचायत हैंडक्वाटर लगा वहाँ पर रेवेन्यु अधिकारीयो द्वारा समस्त अधिकारीगण एक साथ होनें के बाद भी किया और प्रार्थी का नाम दुरस्त करने से आखरी बार मना कर दिया।

यह कि राज्य सरकार लेण्ड होण्डर होने से एवं राज्य सरकार द्वारा ही और राज्य सरकार के ही रेवेन्यु अधिकारीयों द्वारा प्रार्थी के नाम में बिना अनुमति के बिना सुझाव के नाम गलत किया गया है और उक्त दुरस्ती नाम बाबत भी राज्यसरकार ही जिम्मेदार है और अपने जवाब में रेवेन्यु अधिकारीयों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ही बताया जावेगा कि रेकार्ड में कब और क्यों गलत नाम कि एन्ट्री कि गई है।

यह कि प्रार्थी के रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी 134 नई व पुरानी 126 में ख.नं. 418/351 रकबा 1.00 हैक्टर कुल 1 किता का कुल रकबा 1.00 हैक्टर जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में रेवेन्यु रेकार्ड दर्ज है जिसमें प्रार्थी के नाम को रामदयाल कि जगह रामपाल कर दिया जावे जिससें प्रार्थी कि आराजी का सदुपयोग हो सके और प्रार्थी के बच्चों के जाति मुल निवसी बन सके प्रार्थी लॉन ले सके।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी में प्रार्थी के रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी 134 नई व पुरानी 126 में ख.नं. 418/351 रकबा 1.00 हैक्टर कुल 1 किता का कुल रकबा 1.00 हैक्टर जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में रेवेन्यु रेकार्ड दर्ज है जिसमें प्रार्थी के नाम को रामदयाल कि जगह रामपाल कर दिया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती व अमलदरामद खातेदारी में नाम दुरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जायें प्रार्थना पत्र का व्यय व अन्य सहायता प्राप्त करने का प्रा0 पत्र पेश किया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन करवायी गई। दिनांक 19.11.2024 को नायबतहसीलदार खातौली द्वारा जवाब सरकार पेश। जवाब सरकार में सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार खातौली द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार में पटवारी कैथूदा की रिपोर्ट के आधार पर रामपाल व रामदयाल दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। पत्रावली वास्ते बहस में नियत की गई दौराने बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया गया। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में वादी का नाम रामपाल पुत्र मांगीलाल दर्ज है। पत्रावली में प्रतिवादी के प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

जवाब सरकार में जवाब सरकार में सरकार पैरोकार तहसीलदार पीपल्दा द्वारा वादी व जमाबंदी में दर्ज नाम एक ही होना बताया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर जवाब सरकार में सरकार नायब तहसीलदार खातौली द्वारा वादी व जमाबंदी में दर्ज नाम एक ही होना बताया गया है अतः वादी को रामपाल पुत्र मांगीलाल के नाम से खातेदार घोषित कर दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वर्तमान आराजी के जमाबन्दी रेवेन्यु रेकार्ड वाके माल बगावदा पटवार क्षेत्र केथुदा में खेवट खतौनी 134 नई व पुरानी 126 में ख.नं 418/351 रकबा 1.00 हैक्टर कुल 1 किता का कुल रकबा 1.00 हैक्टर जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में रेवेन्यु रेकार्ड में वादी का नाम रामदयाल से दुरस्त कर रामपाल उर्फ रामदयाल पुत्र मांगीलाल के नाम से खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादी को दिए जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जावें।

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/1/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता (आर.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
11/2023	30.06.2023	10.01.2025

रामपाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी कैथुदा तह. पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान ।

अप्रार्थी

निणर्य
प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 136 आर. एल. आर. एक्ट 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री एस0 एच0 मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................ मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके माल बगावदा पटवार क्षेत्र केथुदा में खेवट खतौनी 134 नई व पुरानी 126 में ख.नं 418/351 रकबा 1.00 हैक्टर कुल 1 किता का कुल रकबा 1.00 हैक्टर जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में रेवेन्यु रेकार्ड में वादी का नाम रामदयाल से दुरस्त कर रामपाल उर्फ रामदयाल पुत्र मांगीलाल के नाम से खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादी को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादी को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 10/1/2025 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		

Raminiwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा